Mobile court
SUMMARY TRIAL UNDER SECTION 263 THE CRIMINAL PROCEDURE CODE 1998 IN THE COURT OFJ.M.F.C. Gohad, DIST BHIND (M.P)
Case No. 190 17 का विकास (Case No. 190 17)
गायिक विजन्दा विकास का रिकार विकास के रिकार वितार विकास के रिकार विकास के रिकार विकास के रिकार विकास के रिकार क
Name and address of the Complainant
Name , parentage, caste and address of accused
सुजान सिंह द्वारा माहरमन तिह निन गोरमी
The offence, complainant of, and date of, its alleged commission
आपने दिनांक 23.09:17 को समय लगमग 1:00 बजे, स्थान कीलाम्बर लिराहाअंतर्गत थाना के तहन के वहन के चलाया और
कारान्य तिराटा अतगत थाना काराह्य में पारंग
इस प्रकार आपने ऐसा कृत्य किया है जो कि मोटर व्हीकल एक्ट की धारा
इस प्रकार आपने ऐसा कृत्य किया है जो कि मोटर व्हीकल एक्ट की धारा 46 136 M.V get के तहत दण्डनीय अपराध है और इस
न्यायालय के 'संज्ञान में आता है। वया आपको उक्त अपराध स्वीकार है या प्रतिरक्षा चाहते हो।
क्या आपका उक्त अपराध स्वाकार ह या प्रातस्ता वाहत हो।
Indicial Magistrate Einst Cla
The plea of the accused and his examination (if any) Golfan distr. Bhind (M.P.)
The bigg of the accused and this examination (14 this).
अपराध स्वेच्छ्या स्वीकार है।
Se Special

Indicial Magistane First Class Gohad disheBhind (VLP.)

The offence proved. If any and in case under clasue(d) clasuse(f) clause(g) of sub section 260 the value of the property in respect of which the offence has been committed.

//निर्णय// (आज दिनांक 23-51) को घोषित)

	01. आरोपी को स्वेच्छिक सस्वीकृति के आधार पर उसे मोटर व्हीकल एक्ट	की
	धारा , 146/136 mv act	तहत
	दण्डनीय अपराध का दोषी पाते हुए दोषसिद्ध ठहराया जाता है।	
	02. दण्ड के प्रश्न पर विचार किया गया। आरोपी के विरूद्ध अमिलेख पर	कोई
	पूर्व दोषसिद्धि अमिलिखित नहीं है। अतः आरोपी की संस्वीकृति एवं अपराध की प्रकृति	को
	दृष्टिगत रखते हुये आरोपी सुपान सिंह अ० मोहरमन सिंह नि । गोरम	+,
	को मोटर व्हीकल एक्ट की धारा 14-6/196	को
	तहत दण्डनीय अपराध के आरोप में सिद्धदोष पाते हुए क्रमष राशि रूपये	P
	कुल १००० (मुड हुआ दियए)	के
	अर्थदण्ड से दण्डित किया जाता है।	t,
1	03. अर्थदण्ड सदाय में व्यतिकम की दषा में अभियुक्त को 10 दिवस	की
	अवधि के साधारण कारावास से भुगताया जावे।	
C	04 जप्तबुदा सम्पत्ति वाहन क० १७१७ ३० ८२४७ ३५८७	ा
V	उसके पजीकृत स्वामी को लौटाया जाये।	7.1

मेरे निर्देशन पर टंकित क्रिक्टिंग्स्स Judicial Magistree Free Class

Gohad distr. Bhild (M. 1970)